राजन गुप्ता और मंजरी नेहरू कौल, जे. जे. **के सम** क्ष

निर्मल कौर-अपीलार्थी

बनाम

अमनजीत पाल सिंह प्रतिवादी

2018 के एफ. ए. ओ.-एम. No.129

31 जुलाई, 2019

हिंदू विवाह अधिनियम, **1955**-धारा **9** और **13**-प्रतिवादी -पति ने अधिनियम की धारा **9** के तहत एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता-पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के अपनी सोसायटी से अलग होना था-निचली अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया-अपील में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-पत्नी के इस तर्क से सहमति व्यक्त की कि चूंकि वह चंडीगढ़ में एक नियमित सरकारी कर्मचारी थी, इसलिए उससे मोगा में अपने पति के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, जो अपने स्वयं के कथन के अनुसार बेरोजगार था-अदालत ने आगे कहा कि बदलते समय में, आर्थिक मजबूरियों के कारण, एक पत्नी से हमेशा अपने पति के साथ उसी घर में रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है-आगे कहा कि पत्नी के पास चंडीगढ़ में रहने के लिए पर्याप्त कारण था, और वास्तव में चंडीगढ़ में उसका निवास बना रहा।

अभिनिर्धारित किया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैः

9".वैवाहिक अधिकारों की बहाली-जब पति या पत्नी दोनों में से कोई एक,

बिना किसी उचित कारण के, दूसरे के समाज से अलग हो जाता है तो, पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए जिला न्यायालय में याचिका दायर

कर सकता है और अदालत, ऐसी याचिका में दिए गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट होने पर और कोई कानूनी आधार नहीं है कि आवेदन क्यों नहीं दिया जाना चाहिए । तदनुसार वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश दे सकता है।

स्पष्टीकरण-जहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या समाज से अलग होने का कोई उचित कारण है, तो उचित बहाना साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो समाज से अलग हो गया है।

अधिनियम की धारा 9 का सार बिना किसी उचित कारण के एक पति या पत्नी को दूसरे के समाज से अलग करना है

क्षमा करें।तत्काल मामले में, अपने मामले को साबित करने का प्रारंभिक भार प्रतिवादी-पति पर था और जब उसने अपना बोझ उठाया, तो यह जिम्मेदारी अपीलार्थी-पत्नी पर स्थानांतरित हो गई कि प्रत्यर्थी की सोसायटी से उसकी वापसी एक उचित बहाने के कारण थी।दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी-पत्नी को उचित कारण साबित करना था, एक बार जब समाज से उसकी वापसी प्रतिवादी-पति द्वारा साबित की गई थी।

(पैरा 11)

ने आगे अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध किया गया था कि अपीलार्थी-पत्नी ने प्रतिवादी-पति की जानकारी और सहमति के बिना कंपनी छोड़ दी थी, इस तथ्य के बावजूद कि उस पर प्यार और स्नेह की वर्षा की गई थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था।यह उन मामलों में से एक है जिसमें अपीलार्थी-पत्नी न केवल अपनी शादी के समय एक सरकारी कर्मचारी थी, बल्कि उसके बाद भी वह चंडीगढ़ में तैनात थी, जबकि प्रतिवादी-पति मोगा में स्थित था, जहां वह एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहा था। वास्तव में तत्काल अपील के लंबित रहने के दौरान, यह रिकॉर्ड में आया है कि प्रतिवादी-पति द्वारा 2018 का एक आवेदन यानी सी एम No.15415-CII दायर किया गया था जिसमें उसके अपने दावे के अनुसार वह बेरोजगार था।

(पैरा 12)

ने आगे कहा कि जहां तक अधिनियम की धारा 9 में दिए गए "उचित बहाने" का संबंध है, प्रतिवादी-पति के आचरण और स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।उनके अपने कथन और स्वीकारोक्ति के अनुसार, वह बेरोजगार है जबकि दूसरी ओर यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी-पत्नी गृह विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ के साथ काम करने वाली एक स्थायी सरकारी कर्मचारी है।इस तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, प्रतिवादी-पति का अपीलार्थी-पत्नी के खिलाफ आरोप कि चंडीगढ़ में उसका निरंतर निवास उसके

वैवाहिक दायित्वों की उपेक्षा के बराबर है, अनुचित प्रतीत होता है। यह प्रतिवादी-पति का मामला नहीं है कि शादी के समय उसे अपीलार्थी-पत्नी की नौकरी के बारे में अंधेरे में रखा गया था।वह एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते स्वाभाविक रूप से सरकारी नौकरी की आवश्यकताओं को जानते होंगे, जिसके लिए अब उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रतिवादी-पति को ऐसी स्थिति में खुद को एक अन्यायपूर्ण पक्ष के रूप में पेश करके सहानुभूति लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।वास्तव में अपीलार्थी-पत्नी पर खुद को मोगा स्थानांतरित करने के लिए दबाव डालना क्रूरता के बराबर है।आज की दुनिया में ऐसा लगता है कि एक पत्नी को उस स्थान पर रहने के लिए मजबूर करना एक पुराना तरीका है जहाँ उसका पति काम करता है। इन दिनों कई विवाहित जोड़ों के लिए अलग-अलग शहरों में काम करना और लाभकारी रूप से काम करना बहुत आम बात है।

अपीलार्थी-पत्नी से यह अपेक्षा करना बेहद अनुचित और दया की बात होगी कि वह अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देगी और मोगा में स्थानांतरित हो जाएगी ताकि अधिनियम की धारा 9 के तहत उसके खिलाफ डिक्री पारित होने से बचा जा सके।हमारे विचार से, परिस्थितियों में अलग रहने वाली अपीलार्थी-पत्नी, प्रतिवादी-पति के समाज से अलग होने के बराबर नहीं होगी, इस प्रकार, "उचित बहाना" साबित करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर देगी।

(पैरा 13)

ने आगे कहा कि अपीलार्थी-पत्नी के साथ हमारी बातचीत के दौरान, जो अदालत में मौजूद थी, उसने चंडीगढ़ में अपने पति के साथ रहने और वैवाहिक गुट में लौटने की इच्छा व्यक्त की।उसका निवेदन बहुत ही वास्तविक प्रतीत होता है क्योंकि उसने प्रस्तुत किया कि वह न केवल एक स्थायी सरकारी कर्मचारी थी, बल्कि उसका बेटा चंडीगढ़ के एक अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। प्रतिवादी-पति के साथ रहने के लिए मोगा में स्थानांतरित होने की संभावना में, अपीलार्थी-पत्नी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, एक जुआ जो वह वहन नहीं कर सकती क्योंकि स्वयं प्रतिवादी-पति की स्वीकारोक्ति के अनुसार वह बेरोजगार था। चूल्हे में आग जलती रहना चाहिए, और अपीलार्थी-पत्नी प्रदाता है।

(पैरा 14)

ने आगे कहा कि इसके अलावा यह कहना पर्याप्त है कि पति-पत्नी एक ही छत के नीचे रहना आवश्यक नहीं है। पक्षकार अलग-अलग स्थानों या यहाँ तक कि दूर के स्थानों पर भी रह सकते हैं और केवल इससे वैवाहिक संबंध कमजोर या ख़राब नहीं होगे , विशेष रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों में।प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से एक निष्कर्ष निकालना होगा कि क्या एक पक्ष या पति या पत्नी को दूसरे के समाज से वापस हटना जानबूझकर था या नहीं। मौजुदा

मामले में, साक्ष्य और अन्य सामग्री के पुनर्मूल्यांकन के साथ-साथ पक्षों के साथ बातचीत के बाद, अपीलार्थी-पत्नी को प्रत्यर्थी-पति के समाज से अलग करने को जानबूझकर वापसी नहीं कहा जा सकता है, प्रथमतः इसे समाज से निष्कासन कहा जाएगा। प्रतिवादी-पति को गलत पक्ष नहीं कहा जा सकता है।

(पैरा 15)

B.S.Jolly, अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए।

विवेक अरोड़ा, प्रतिवादी के वकील।

मंजरी नेहरू कौल**,** जे**.**

(1) अपीलार्थी-पत्नी-निर्मल कौर द्वारा उस निर्णय और डिक्री दिनांक 11.01.2018 के खिलाफ तत्काल अपील की गई है जो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत प्रतिवादी-पति द्वारा दायर याचिका को निचली अदालत द्वारा अनुमति दी गई थी।

(2) तत्काल अपील के निर्णय के लिए आवश्यक कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है जैसा कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय के समक्ष याचिका में कहा गया है। पार्टियों के बीच शादी हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार जिला लुधियाना के मुल्लानपुर में 17.01.2009 पर संपन्न हुई थी। विवाह के बाद, अपीलार्थी-पत्नी और प्रतिवादी-पति मोगा में रहते थे और साथ रहते थे। उक्त विवाह में से वर्ष 2010 में एक पुरुष बच्चे का जन्म हुआ था, जो अपीलार्थी-पत्नी की अभिरक्षा में है। याचिका में किए गए कथन के अनुसार, शादी के बाद दोनों पक्ष मोगा में लगभग दो महीने तक एक साथ रहे।इसके बाद, अपीलार्थी-पत्नी

ने प्रतिवादी-पति पर चंडीगढ़ जाने का दबाव डाला।चूंकि प्रतिवादी-पति अपीलार्थी-पत्नी के माता-पिता के घर में रहने के लिए सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ में एक आवास किराए पर लिया। प्रतिवादी-पति ने दावा किया कि वे एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके बेटे के जन्म के बाद उनके बीच संबंध बिगड़ने लगे जब अपीलार्थी-पत्नी ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया।अपीलार्थी-पत्नी, जो एक सरकारी कर्मचारी है और अच्छी तनख्वाह लेती है, ने प्रतिवादी-पति पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ सभी संबंध तोड़ने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे वह सहमत नहीं हुआ। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि चूंकि वह एक निजी कंपनी में एक छोटा कर्मचारी था, इसलिए वह अपीलार्थी-पत्नी द्वारा वांछित विलासिता का खर्च उठाने में असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी-पत्नी का व्यवहार बिगड़ गया।अपीलार्थी-पत्नी के साथ-साथ उसका परिवार सभी के सामने प्रतिवादी-पति को अपमानित करने और दुर्व्यवहार करने में भी संकोच नहीं करेगा।वास्तव में, अपीलार्थी-पत्नी प्रतिवादी-पति के खिलाफ अवैध संबंधों में शामिल होने के झूठे आरोप लगाए।अंत में, अक्टूबर, 2011 में, अपीलार्थी-पत्नी ने प्रतिवादी-पति की जानकारी और सहमति के बिना अपने बच्चे के साथ वैवाहिक घर छोड़ दिया।यह आगे आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी-पति ने अपीलार्थी-पत्नी को वैवाहिक गुट में वापस लाने के लिए गंभीर प्रयास किए लेकिन यह एक व्यर्थ अभ्यास साबित हुआ।अंततः,प्रतिवादी-पति ने अपीलार्थी-पत्नी के व्यवहार से तंग आकर चंडीगढ़ में उसके खिलाफ अधिनियम की धारा 13 के तहत एक याचिका दायर की, लेकिन परिवार और दोस्तों के हस्तक्षेप से, इसे वापस ले लिया गया क्योंकि वह मोगा में अपनी पत्नी यानी अपीलार्थी और उनके बच्चे के साथ अपने माता-पिता के साथ रहना चाहता था।

(मंजरी नेहरू कौल, जे.)

(3) अपीलार्थी-पत्नी ने नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष दायर अपने लिखित बयान में याचिका में लगाए गए आरोपों और कथनों का खंडन किया, अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध करते हुए कि अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका प्रतिवादी-पति द्वारा बिना कोई कारण बताए वापस ले ली गई थी क्योंकि वह अपीलार्थी-पत्नी और नाबालिग बच्चे को भरण-पोषण का भुगतान नहीं करना चाहता था।इसके बाद, अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका प्रतिवादी-पति द्वारा दायर की गई थी।उसने स्वीकार किया कि शादी के बाद दोनों पक्ष मोगा में एक-दूसरे के साथ रहे और रहने लगे, लेकिन उसने दलील दी कि चूंकि वह मिनी सचिवालय, पंजाब में क्लर्क के रूप में कार्यरत थी और चंडीगढ़ में तैनात

थी, इसलिए उसे अपने कर्तव्यों में फिर से शामिल होने के लिए चंडीगढ़ लौटना पड़ा। उसने आरोप लगाया कि उस पर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने और मोगा में प्रतिवादी-पति के साथ रहने का दबाव डाला गया था।अपनी नौकरी छोड़ने से इनकार करने पर, प्रतिवादी-पति और उसके परिवार द्वारा उसका शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से शोषण किया गया।अपीलार्थी-पत्नी के अनुसार, उसने कभी भी अपने वैवाहिक दायित्वों और कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की और अपने परिवार पर पूरा ध्यान दिया, फिर भी प्रतिवादी-पति ने उसके साथ अत्यधिक क्रूरता का व्यवहार किया, इतना कि उसके साथ हुए उत्पीड़न के कारण, वह प्रतिवादी-पति के खिलाफ चंडीगढ़ में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर हो गई।उसने प्रतिवादी-पति के साथ समायोजन करने के लिए गंभीर प्रयास किए लेकिन व्यर्थ।

(4) पक्षकारों की दलीलों पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थेः

1. क्या याचिकाकर्ता वैवाहिक अधिकारों की बहाली की डिक्री का हकदार है, जैसा कि आरोप लगाया गया है?ओपीपी

2. क्या याचिका विचारणीय नहीं है?ओ. पी. आर

3. क्या याचिकाकर्ता इस न्यायालय से भौतिक तथ्यों को दबाने का दोषी है?ओ. पी. आर

4. क्या याचिकाकर्ता ने अच्छे इरादे से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है?ओ. पी. आर

5. राहत मिलती है।

(5) इसके बाद, दोनों पक्षों ने अपने-अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए।प्रतिवादी-पति ने पीडब्लू-1 के रूप में गवाह बॉक्स में कदम रखा और साक्ष्य में एक हलफनामा Ex.PW-1/A प्रस्तुत किया।अपने अलावा, उन्होंने पी. डब्ल्यू.-2 के रूप में हरभजन सिंह और पी. डब्ल्यू.-3 के रूप में गुरदियाल सिंह की जांच की, जिन्होंने प्रतिवादी-पति के समान ही गवाही दी और कहा कि अपीलकर्ता-पत्नी को उनके और पंचायत द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद पति की कंपनी में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी ओर, अपीलार्थी-पत्नी ने स्वयं

आर. डब्ल्यू.-1 के रूप में गवाह बॉक्स में कदम रखा और अन्य दस्तावेजों के साथ साक्ष्य में एक हलफनामा Ex.RA प्रस्तुत किया।

(6) पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री का विश्लेषण करने के बाद, निचली अदालत ने प्रतिवादी-पति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थी-पत्नी को पति की कंपनी में शामिल होने और अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह पति की सोसायटी में वापस नहीं आने का कोई पर्याप्त या उचित कारण स्थापित करने में विफल रही है।

(7) हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और साक्ष्य के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री का अध्ययन किया है।

(8) यह उल्लेख करना उचित होगा कि तत्काल अपील के लंबित रहने के दौरान, पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समझौते की संभावना का पता लगाने के लिए इस न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र को भेजा गया था, जो हालांकि कोई सकारात्मक परिणाम देने में विफल रहा।

(9) पक्षों के लिए विद्वान वकील ने अपने-अपने रुख पर टिके तर्कों को संबोधित करते हुए निचली अदालत के समक्ष अपनी दलीलों को दोहराया।

(10) हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैः

9".वैवाहिक अधिकारों की बहाली-जब पति या पत्नी में से किसी एक

ने, बिना किसी उचित कारण के, दूसरे के समाज से अलग हो गया है, पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए जिला न्यायालय में याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है और अदालत, ऐसी याचिका में दिए गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट होने पर और यह कि आवेदन क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, कोई कानूनी आधार नहीं है, तदनुसार वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश दे सकता है।

[स्पष्टीकरण-जहाँ कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या समाज से अलग होने का कोई उचित कारण है, तो उचित कारण साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो समाज से अलग हो गया है।]"

(11) अधिनियम की धारा 9 का सार किसी भी उचित कारण के बिना एक पति या पत्नी को दूसरे के समाज से वापस लेना है। तत्काल मामले में, अपने मामले को साबित करने का प्रारंभिक भार प्रतिवादी-पति पर था और जब उसने अपना बोझ उठाया, तो यह

जिम्मेदारी अपीलार्थी-पत्नी पर स्थानांतरित हो गई कि प्रतिवादी की सोसायटी से उसकी वापसी एक उचित बहाने के कारण थी। दूसरे शब्दों में,

अपीलार्थी-पत्नी को उचित कारण साबित करना पड़ा, एक बार जब प्रतिवादी-पति द्वारा समाज से उसकी वापसी साबित हो गई।

(12) इस मामले में, अदालत के समक्ष यह अनुरोध किया गया था कि अपीलकर्ता-पत्नी ने प्रतिवादी-पति की जानकारी और सहमति के बिना कंपनी छोड़ दी थी, इस तथ्य के बावजूद कि उस पर प्यार और स्नेह की बौछार की गई थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था।यह उन मामलों में से एक है जिसमें अपीलार्थी-पत्नी न केवल अपनी शादी के समय एक सरकारी कर्मचारी थी, बल्कि उसके बाद भी वह चंडीगढ़ में तैनात थी, जबकि प्रतिवादी-पति मोगा में स्थित था, जहां वह एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहा था। वास्तव में तत्काल अपील के लंबित रहने के दौरान, यह रिकॉर्ड में आया है कि प्रतिवादी-पति द्वारा 2018 का एक आवेदन यानी सी एम No.15415-CII दायर किया गया था जिसमें उसके अपने दावे के अनुसार वह बेरोजगार था।

(13) जहाँ तक अधिनियम की धारा 9 में दिए गए "उचित बहाने" का संबंध है, प्रतिवादी-पति के आचरण और स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।उनके अपने कथन और स्वीकारोक्ति के अनुसार, वह बेरोजगार है जबकि दूसरी ओर यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी-पत्नी गृह विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ के साथ काम करने वाली एक स्थायी सरकारी कर्मचारी है।इस तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, प्रतिवादी-पति का अपीलार्थी-पत्नी के खिलाफ आरोप कि चंडीगढ़ में उसका निरंतर निवास उसके वैवाहिक दायित्वों की उपेक्षा के बराबर है, अनुचित प्रतीत होता है।यह प्रतिवादी-पति का मामला नहीं है कि शादी के समय उसे अपीलार्थी-पत्नी की नौकरी के बारे में अंधेरे में रखा गया था। वह एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते स्वाभाविक रूप से सरकारी नौकरी की आवश्यकताओं को जानते होंगे, जिसके लिए अब उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रतिवादी-पति को ऐसी स्थिति में खुद को एक अन्यायपूर्ण पक्ष के रूप में पेश करके सहानुभूति लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।वास्तव में अपीलार्थी-पत्नी पर खुद को मोगा स्थानांतरित करने के लिए दबाव डालना क्रूरता के बराबर है।आज की दुनिया में ऐसा लगता है कि एक पत्नी को उस स्थान पर रहने के लिए मजबूर करना एक पुराना तरीका है जहाँ उसका पति काम करता है।इन दिनों कई विवाहित जोड़ों के लिए अलग-अलग शहरों में काम करना और लाभकारी रूप से काम करना बहुत आम बात है। अपीलार्थी-पत्नी से यह अपेक्षा करना बेहद अनुचित और दया की बात होगी कि वह अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देगी

और मोगा में स्थानांतरित हो जाएगी ताकि अधिनियम की धारा 9 के तहत उसके खिलाफ डिक्री पारित होने से बचा जा सके।हमारे विचार से, परिस्थितियों में अलग रहने वाली अपीलार्थी-पत्नी, प्रतिवादी-पति के समाज से अलग होने के बराबर नहीं होगी, इस प्रकार, "उचित कारण " साबित करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर देगी।

(14) अदालत में मौजूद अपीलार्थी-पत्नी के साथ हमारी बातचीत के दौरान, उसने चंडीगढ़ में अपने पति के साथ रहने और वैवाहिक परिवार में लौटने की इच्छा व्यक्त की। उसका निवेदन बहुत ही वास्तविक प्रतीत होता है क्योंकि उसने प्रस्तुत किया कि वह न केवल एक स्थायी सरकारी कर्मचारी थी, बल्कि उसका बेटा चंडीगढ़ के एक अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। प्रतिवादी-पति के साथ रहने के लिए मोगा में स्थानांतरित होने की संभावना में, अपीलार्थी-पत्नी को उसकी नौकरी चुकानी पड़ेगी, एक जुआ जो वह वहन नहीं कर सकती क्योंकि स्वयं प्रतिवादी-पति के स्वीकारोक्ति के अनुसार वह बेरोजगार था। चूल्हे में आग जलती रहना चाहिए, और अपीलार्थी-पत्नी प्रदाता है।

(15) यह कहने के लिए पर्याप्त है कि पति-पत्नी का एक ही छत के नीचे रहना आवश्यक नहीं है। पक्षकार अलग-अलग स्थानों या यहाँ तक कि दूर के स्थानों पर भी रह सकते हैं और यह अकेले एक वैवाहिक संबंध को कमजोर या ख़राब नहीं करेगा, विशेष रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों में। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से एक निष्कर्ष निकालना होगा कि क्या एक पक्ष/पति/पत्नी को दूसरे की सोसायटी से अलग होना जानबूझकर था या नहीं। इस मामले में, और अन्य सामग्री के पुनर्मूल्यांकन के साथ-साथ पक्षों के साथ बातचीत के बाद, प्रतिवादी-पति की सोसायटी से अपीलार्थी-पत्नी की वापसी को जानबूझकर वापसी नहीं कहा जा सकता है, अगर इसे पहली जगह में सोसाइटी से वापसी कहा जा सकता है। प्रतिवादी-पति को अन्यायपूर्ण पक्ष नहीं कहा जा सकता है।

(16) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, हम अपीलार्थी-पत्नी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हैं और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री को अलग करते हैं।यह पक्षों के हित में होगा कि वे एक व्यवहार्य समाधान पर काम करें।

(17) तदनुसार, वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है।

पी. एस. बाजवा

अस्वीकरण – सथानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है! सभी व्यावहारिक एंड अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा!

Suman